

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा

पत्रांक: 1458/14-1

दिनांक, एटा, जनवरी 26, 2018

सेवा में,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त,
अलीगढ़।

विषय एटा से अलीगढ़ -कानपुर सैक्शन (एन0एच0-91) कि0मी0 186 से 229 तक 4 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 65.495 है0 संरक्षित वनभूमि वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4940 वृक्ष व 858 पौध कुल 5798 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ कार्यालय मुख्य वन संरक्षक /नोडल अधिकारी लखनऊ का पत्रांक 1518/एटा/22374/2016 दिनांक 04.12.2017

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा लगाई गयी आपत्तियों का यूजर ऐजेन्सी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अनुपालन/निराकरण बिन्दुवार लिखित रूप से प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर इस प्रभाग से सम्बन्धित आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार प्रेषित है।

क्र.सं.	आपत्ति	निराकरण
1	प्रस्तावित स्थल की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है। ऑनलाइन पार्ट -2 अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	प्रस्ताव में संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न कर दी गयी है। ऑनलाइन पार्ट -2 में अपलोड कर दिया गया है।
2	प्रस्तावित वनभूमि की गणना में विद्यमान R.O.W., विद्यमान मार्ग, प्रस्तावित वनभूमि एवं चौड़ीकरण के उपरान्त अवशेष संरक्षित वनभूमि की चैनेजवार गणना अंकित नहीं है। संशोधित गणना ऑनलाइन अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	प्रस्तावित वन भूमि की गणना में विद्यमान आर0ओ0डब्लू0 की चैनेजवार संशोधित विवरण प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है।
3	परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न नहीं है। सत्यापित प्रति ऑनलाइन अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	परियोजना की वित्तीय एवं प्राशसनिक स्वीकृति ऑनलाइन अपलोड कर दी गयी है तथा सत्यापित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
4	ऑनलाइन पार्ट-2 पर अपलोड बाधक वृक्षों की संख्या 4923 है किन्तु परियोजना में बाधक 4940 वृक्षों व 858 पौधों का विवरण संलग्न है। जो विसंगतिपूर्ण है। स्थिति स्पष्ट करते हुए ऑनलाइन व ऑफलाइन संशोधित करने का कष्ट करें।	ऑनलाइन पार्ट-2 पर अपलोड बाधक वृक्षों की संख्या 4940 संशोधित कर दी गयी है तथा 858 पौधों का विवरण अतिरिक्त अभिलेखों में अपलोड किया गया है।
5	प्रमाण -पत्र की रंगीन छायाप्रति संलग्न है। ऑनलाइन पार्ट-1 के बिन्दु -के-1(ए) पर अपलोड जिलाधिकारी के प्रमाण -पत्र पर पत्रांक व दिनांक अंकित नहीं है।	जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र में दिनांक व पत्रांक अंकित करा दिये गये हैं तथा पार्ट 1 में एन0एच0आई0 द्वारा अपलोड कर दिया गया है।
6	वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का मूल प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ न संलग्न कर रंगीन छायाप्रति संलग्न की गयी है, जो सुसंगत नहीं है। मूल प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा जारी एफ0आर0ए0 मूल में प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
7	प्रस्तावित स्थल की के0एम0एल0 फाइल प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।	प्रस्तावित स्थल की के0एम0एल0 फाइल प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दी गयी है।
8	मार्ग चौड़ीकरण का एक Liner Plan जिसमें विद्यमान R.O.W., प्रस्तावित R.O.W. एवं चौड़ीकरण के उपरान्त वृक्षारोपण हेतु अवशेष वनभूमि को मीटर में दर्शाया गया हो, प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है। ऑनलाइन अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	लाइनर प्लान में समस्त सूचनाओं सहित प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है।

9	ऑनलाइन पार्ट-1 के बिन्दु-ए-1(xvii) में अपलोड पावर ऑफ अटार्नी में आवेदक का नाम अंकित कर व हस्ताक्षर प्रमाणित कर अपलोड नहीं किया गया है, न ही प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।	पावर ऑफ अटार्नी आवेदक का नाम व हस्ताक्षर प्रमाणित कराकर एन0एच0आई0 द्वारा पार्ट 1 में अपलोड कर दिया गया है।
10	ऑनलाइन पार्ट -2 के बिन्दु-13-1 के बिन्दु-13-1 के क्रमांक -3 व 4 पर अपलोड के0एम0एल0 फाइल खुल नहीं रही है। अपलोडेड पॉलीगॉन को पेन्ट किया गया है, जिससे उक्त स्थल की वनावरण की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। संशोधित कर पुनः ऑनलाइन अपलोड करें व के0एम0एल0 फाइल प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	के0एम0एल0 फाइल संशोधित तैयार कराकर ऑनलाइन पार्ट 2 के बिन्दु संख्या 13-1 में अपलोड करा दिया गया है तथा के0एम0एल0 फाइल प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
11	उक्तानुसार सूचनाओं / अभिलेखों को पूर्ण कर प्रस्ताव पर पृष्ठ संख्या व तदनुसार विषय-सूची अपडेट कराने का कष्ट करें।	प्रस्ताव में विशेष सूची अपडेट कर पृष्ठ संख्या अंकित कर दी गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार संशोधित प्रस्ताव 4 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(ए0के0 कश्यप)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा।

पत्रांक 1458 / 14-1 समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक, वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1980, उ0प्र0 लखनऊ।
2. वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
3. जिलाधिकारी, एटा।
4. परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पी0आई0यू0 अलीगढ़।

(ए0के0 कश्यप)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा।

Letter of Recommendation Not below the rank of DCF
(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from National Highways Authority of India for diversion under FCA-1980 of 65.495 Hectares of Protected Forest land for non-forest purpose. The project envisages the Diversion of Protected Forest Land for Rehabilitation and Up-gradation to 4 lane with paved shoulders configuration from Bhadwas to Kalyanpur section (Km 186 to Km 229.000) Package-II section of National Highway-91 in Etah District. The site inspection of the land in proposal has been done by me on dated : 02-10-2017

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is Protected Forest (PF) measuring 65.495 Hectare.

The requirement of forest land as proposed by the User Agency on col.2 of part ii is unavoidable and is the barest minimum required for the project.

No rare/endangered/unique species of flora and fauna in the area. There is no protected archeological/heritage site/defense establishment or any other important monument located in the area. More over the user agency has not violated the provision of Forest Conservation Act, 1980 and no work has been started till now and no work will be started without proper sanction. The user Agency has given the undertaking to comply with all the conditions that would be put by the state or/and Central Government during the process of getting sanction. Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal. The cutting of 4940 trees for the execution of this project may in all probability change the "micro-climate" of the villages surrounding the NH- 91 in particular and Etah district in general which is further accentuated by the fact that the degraded forest land identified for compensatory afforestation was not available in Etah district but have got available in Firozabad District. This project is also connected to the construction of "bypasses" in non forest land which would also involve cutting of trees in non forest revenue land which will further deteriorate the microclimate of the region

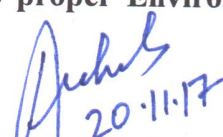
Undersigned is of the view that the tree cutting should be avoided and the transplantation of the trees especially 201 ficus trees should be compulsorily resorted to if we really want to preserve the "microclimate" of the nearby villages in particular and etah district in general. Moreover the bypasses in non forest revenue land should be properly afforested. This sensitivity of the microclimate vis a vis tree cutting is further enhanced by the fact that there is proposed cutting of 2435 trees in another forest clearance proposal no FP/UP/Road/21109/2016 which pertains to the widening of Etah Kasganj Road in Etah district for which the Regional Empowered Committee has given the approval subject to FRA

certificate. In this project also the site for compensatory afforestation is outside Etah District that is in Agra and Hathras District.

Another fact which adds to the concern of the above possible deteriorating microclimate of the region is that Etah district has one range Jalesar which forms a part of Taj Trapezium Zone and TTZ boundary would be not more than 40 kms aerially from the NH 91.

The cost benefit analysis of the project shows a cost benefit ratio of "meager 2.09" which is further dependent on two "uncertain" outcomes –first, the benefit accruing to the economy as given in serial no- 05 of cost benefit analysis and second, the possibility of the success of compensatory afforestation over degraded forest land of 130.99 hectares in firozabad district with 80 percent survival, which in the view of the undersigned is "too optimistic".

Hence the project is recommended in public interest subject to proper Environmental Impact Assessment/scrutiny.


(A.K. Kashyap)

Divisional Director
Social Forestry Division
Etah